भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3521
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी

†3521. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में न्यूनतम कर्मचारी-रोगी अनुपात के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिक्तियों को भरकर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रोगियों की देखभाल पर कर्मचारियों की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कार्यनीतियाँ अपनाई जा रही हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिक और मध्यम स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) तैयार किए गए हैं, जिनमें देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार लाने के विचार से एक समान मानकों का एक सेट प्रदान किया गया है। इन मानकों में नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सुविधा स्तरों पर डॉक्टरों सहित आवश्यक मानव संसाधनों की आवश्यकता को भी निर्दिष्ट किया गया है। आईपीएचएस को पिछली बार वर्ष 2022 में अपडेट किया गया था और यह निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

http://nrhm.gov.in/nhm/nrhm/guidelines/indian-public-health-standards.html

(ग) से (ङ): सरकारी अस्पतालों में रिक्तियों को भरने सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार लंबे समय के लिए पर्याप्त संख्या में नियमित पदों को सृजित करके और अल्प से मध्यम अवधि के लिए अधिक बड़ी कमी को दूर करने हेतु एनएचएम पदों का उपयोग करते हुए मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। एनएचएम आईपीएचएस के अनुसार मध्यम और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों (जिला अस्पताल और उससे नीचे) में मानव संसाधनों की कमी को दूर करके नियमित मानव संसाधनों की पूर्ति करता है।

एनएचएम के तहत, रोगियों की स्वास्थ्य परिचर्या पर स्टाफ की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को हार्ड एरिया भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए भत्ता दिया जाता है ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में सेवा करना आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति स्वास्थ्य परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और दाई (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलेपन सहित बातचीत से तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।
- दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्राथमिकता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी एनएचएम के तहत शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एनआरएचएम की एक और प्रमुख रणनीति है।

******